मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम
सत्र 2019–20

1	शासकीय **(Govt.)** क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) इंजीनियरिंग संस्थाओं में बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 2–15
2	निजी **(Private)** क्षेत्र के लिये निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 16–28
3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 29–41
4	संस्थावार उपलब्ध सीटों की सख्या (बी.ई)	पृष्ठ 42–60

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) में सत्र 2019–20 से प्रवेश नियम

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) इंजीनियरिंग संस्थाओं में बी.ई. पाठ्यक्रम में सत्र 2019–20 से प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेश नियम प्रभावशील रहेंगे तथापि नीतिगत परिवर्तन की दशा में ही नियमों में आवश्यक संशोधन उपरान्त शासन अनुमति आवश्यक होगी :–

1.1 सामान्य

ये नियम मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय इंजीनियरिंग संस्थाओं बी.ई. के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलाएंगें।

1.2 परिभाषायें

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः –

1. "AICTE"से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली;
2. ''संयुक्त प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा यथा जेईई (मेन);
3. "पाठयक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठयक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, आदि);
4. ''व्यावसायिक संस्थान'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों को संचालित करती है;
5. ''सीबीएसई'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली
6. ''डी.टी.ई.'' से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
7. ''रा.गां.प्रौ.वि.'' से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
8. ''प्राचार्य'' से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख;
9. ''सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.)'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी;
10. ''मध्यप्रदेश (म.प्र.)'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया हैं;
11. ''एन.आर.आई.'' से अभिप्रेत है अनिवासी भारतीय का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115–ग के खण्ड (ड.) में उसके लिये दिया गया है;
12. ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है इन चार श्रेणी में से एक उदाहरणार्थ अनारक्षित(UR), अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर)(OBC);
13. ''वर्ग'' से अभिप्रेत है इन चारों वर्गों में कोई भी एक उदाहरणार्थ सैनिक(S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF), टेकनिकल स्ट्रीम(TS), बिना वर्ग(X);

14. "OP"सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरूष अभ्यर्थी;
15. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी;
16. ''मध्यप्रदेश सीटों'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित सीट;
17. ''शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों'' से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं जिनमें गतवर्ष प्रवेश क्षमता के न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रवेश हुए हों उन संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगें, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल–निवासी अभ्यर्थियों, जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतो से कुल वार्षिक आय 8.0 (आठ) लाख रूपये से अधिक ना हो, को दिया जावेगा।
18. "AI" सीटों से अभिप्रेत है आल इंडिया सीट;

1.3 **लागू होना:– ये नियम** मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) की संस्थाओं में प्रथम वर्ष मेंप्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

1.4 **प्रवेश नियमः–**

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

1.4.1 <u>स्थानों की उपलब्धता</u>

बी.ई. संस्थाओं में उपलब्ध सीटें :–

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत
1	मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय। स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्थाओं	90 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें एवं आल इंडिया सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

<u>नोट :–</u>

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट https//dte.mponline.gov.in. पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की

दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।

(ख–1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नही की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नही किया जायेगा।

1.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण

1.4.2.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) के बी.ई. संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा। प्रवेश परीक्षा के आधार पर यदि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब प्रथम चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को उपरोक्त प्रतिशत के अनुसार पुनः परिवर्तित **(Redistribution)** किया जावेगा।

टिप्पणी :

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling)के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC)अथवा अनुसूचित जनजाति (ST)श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप–1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस प्रवेश नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारुप–2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया

प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2016 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र **प्रारुप–10** में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापितों की सीटें (J & K Migrants Seats)

समस्त स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय (ब्रांच) में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थानों तथा स्ववित्तीय संस्थानों में एक–एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above)आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **प्रारुप–7** में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।बी.ई.पाठ्यक्रम में प्रवेश, जेईई (मेन)–2019 प्रवेश परीक्षा की योग्यताक्रम(मेरिट) के आधार पर किये जायेंगे।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **प्रारुप–8** में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। पाठ्यक्रम में प्रवेश, जेईई (मेन)–2019 प्रवेश परीक्षा की योग्यताक्रम(मेरिट) के आधार पर किये जायेंगे।

(घ) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J&KResidents Seats)

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, तथा स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं में आल इंडिया सीटों में से एक–एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में आरक्षित की गई हैं।

(ड.) शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटें (Tution Fee Waiver Scheme):-

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना ऐसी संस्थाओं में जिनमें गतवर्ष प्रवेश क्षमता के न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रवेश हुए हों उन संस्थाओं अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी,

जिनके अभिभावकों की **वार्षिक आय 8.0 लाख रूपये** से अधिक ना हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों व्दारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाऐंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

(ण) क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation):

शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सभी श्रेणियों में सैनिक(S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF), तथा टेकनिकल स्ट्रीम(TS) वर्ग के उम्मीदवारों हेतु निम्नानुसार क्षैतिजीय आरक्षण रहेगाः–

(अ) बी.ई पाठ्यक्रम में अनारक्षित(UR),अनुसूचित जाति(SC),अनुसूचित जनजाति(ST),तथा अन्य पिछड़ी जाति(OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत सैनिक(S),स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF), विकलांग (H), एनसीसी (NCC) तथा टेकनिकल स्ट्रीम(TS)वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण क्रमशः 5, 3, 3, 2 तथा 1 प्रतिशत रहेगा ।

सैनिक वर्ग (S) :–

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हैं।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण–पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित **प्रारुप–3 भाग (अ)** में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण–पत्र **प्रारुप–4** में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र **प्रारुप–3 भाग(ब)** में) उम्मीदवार

को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र **प्रारुप–6** में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2019 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र **प्रारुप–3 भाग(ब)** में)

टिप्पणी : सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF):

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो इस नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी :स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से **प्रारुप–5** में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

विकलांग उम्मीदवारों की सीटें (Physically Handicapped Candidates Seats):

ऐसे निःशक्त उम्मीदवार जिनका निःशक्तता 40 प्रतिशत या 40 अधिक है एवं जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज(Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति (ST),अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर)(OBC) में उपलब्ध रहेगा।

टिप्पणी :–

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरूद्व विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. इन सीटों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को **निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा**–
   (अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour)**नेपियर टाउन, जबलपुर** द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

एन.सी.सी. "बी" प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, के आदेश क्रमांक 758/2730/2009/42–2 भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. के "बी" प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शासकीय/अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के दो प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

टेक्निकल स्ट्रीम (TS) वर्ग :

टेक्निकल स्ट्रीम वर्ग में मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा गणित मुख्य विषय के रूप में तथा रसायन/बायोटेक्नालॉजी/बायोलॉजी/तकनीकी व्यावसायिक में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण के साथ–साथ मध्यप्रदेश स्थित विश्वविद्यालय से किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा (Diploma) उत्तीर्ण किया हो।

बिना वर्ग (Nil Class) (X) :

जो उम्मीदवार उपरोक्त वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग"(X) का उम्मीदवार माना जावेगा।

(ब) मध्यप्रदेश की महिला (F) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों हेतु 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" आरक्षण उपलब्ध रहेगा। ऐसी सीटों को (F) दर्शाया जावेगा।

महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा।

टिप्पणी: किसी वर्ग (**Class**) विशेष में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी वर्ग के ओपन (**OP**) उम्मीदवारों से भरी जावेगी। वर्ग विशेष में ओपन उम्मीदवार भी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी श्रेणी (**Category**) के बिना वर्ग (**X/OP**) उम्मीदवारों के द्वारा भरी जावेंगी।

(त) मध्यप्रदेश राज्य शासन के **चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों** को अतिरिक्त सुविधाः–

बी.ई. पाठ्यक्रम हेतु यदि किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों, तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्था का आवंटन किया जा सकेगा परंतु उन्हें ब्रांच का आवंटन प्रवेशित संस्था में उनकी मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, एवं स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। चम्बल तथा होशंगाबाद सम्भाग में शासकीय अथवा अनुदान प्राप्त संस्थाएँ नहीं होने के कारण इन सम्भागों के निवासरत् उम्मीदवार क्रमशः एम.आई.टी.एस., ग्वालियर तथा यू.आई.टी., आर.जी.पी.व्ही, भोपाल में प्रवेश ले सकते हैं ।

टिप्पणी : "गरीबी रेखा" के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण–पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

1.4.2.2 एन.आर.आई. (NRI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

1.4.2.3 आल इंडिया (AI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें आल इंडिया उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी।

1.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

(अ) बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:–

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा गणित मुख्य विषय के रूप में तथा रसायन/बायोटेक्नालॉजी/बायोलॉजी/तकनीकी व्यावसायिक में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण।

उपरोक्त विषयों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

नोट :–

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।

2. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

3. जेईई(मेन)–2019 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2018–19 में सम्मिलित हो रहे है, भाग ले सकते है परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें

(M.P. Domicile Requirements)

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी संस्थाओं एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की सीटें तथा स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्थाओं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की बी.ई. की सीटों के विरूद्ध केवल ऐसे उम्मीदवारों को (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी :–

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण–पत्र <u>प्रारूप–6</u> अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र <u>प्रारुप–6 (अ)</u> में संलग्न है) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1.6 प्रवेश की रीति

राज्य शासन द्वारा अधिकृत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली जेईई (मेन)–2019 की घोषित आलइंडिया रैंक के आधार पर बी.ई. में प्रवेश दिये जायेगें। *{सीबीएसई द्वारा जेईई (मेन) की घोषित ऑलइंडिया रैंक केवल धनात्मक समग्र अंक (positive composite score) प्राप्त उम्मीदवार ही पात्र होंगे।}*

1.7 प्रवेश की प्रक्रिया

1.7.1 *ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया (Online Offcampus Admission Procedure):*

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

1.7.2 *अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रियाः–*

1.7.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

1.7.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन–अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानोंको सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

1.7.3 विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) का प्रवेश –

(एक) ऐसी संस्थायें जिन्हें एआईसीटीई के अनुमोदन में विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों की सीटों के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है तब ऐसी संस्थाओं को स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 15 प्रतिशत (अधिसंख्य)

स्थान पर प्रवेश देने की पात्रता होगी। ऐसे स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रक्रियानुसार भरे जा सकेगें।

(दो) संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हे सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराएं।

1.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

1.8.1 बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश परीक्षा जेईई (मेन)–2019 संचालित की जावेगी।

1.8.2 प्रवेश परीक्षा (जेईई (मेन)–2019) के अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के छात्र–छात्राओं को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित जेईई (मेन)–2019 प्रवेश परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारुप–9** में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

1.8.3 योग्यता क्रम सूचियां

1.8.3.1 जेईई (मेन)–2019 में ऑलइंडिया रैंक के आधार पर बी.ई. पाठ्यक्रम हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियॉ (Common Merit Lists), उपलब्ध कराई जावेगी।

1.8.3.2 बी.ई. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संस्था एवं इंजीनियरिंग ब्रांच का आवंटन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली (जेईई (मेन)–2019)द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों Common Merit मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

1.8.3.3 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता(Inter-se Merit)

समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Inter-se Merit) वही मान्य होगी जैसा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित जेईई (मेन)–2019 प्रवेश परीक्षा नियमानुसार निर्धारित कर मेरिट सूची प्रदान की गई हो।

1.8.4 <u>प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :</u>

1.8.4.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की सीटों, ऑलइंडिया सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये बीई.पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित जेईई (मेन)–2019 प्रवेश परीक्षा नियम अनुसार तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

1.8.4.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा जेईई (मेन)–2019 के अनुसार तैयार की गई **<u>योग्यता क्रम सूची के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा</u>** प्रवेश दिया जावेगा।

1.8.4.3 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट https//dte.mponline.gov.in. पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

1.8.4.4 <u>मूल प्रमाण–पत्र</u>

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। **<u>उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।</u>**

1.8.4.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

1.8.4.6 निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

1.9 <u>प्रवेश का क्रम :–</u>

1.9.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों में** सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

1.9.2 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से आवंटन किया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से

परिवर्तित किए जा सकें:– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति।

1.9.3 आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

1.9.4 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक–पृथक अथवा साथ–साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

1.9.5 बी.ई. पाठ्यक्रमों में सामान्य प्रवेश परीक्षा आधारित केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग) चरणों उपरान्त, प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी यदि अपनी ब्रांच परिवर्तन के विकल्प लेने का इच्छुक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार ब्रांच परिवर्तन के लिये अपना विकल्प दे सकेगा ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में, उसकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा पश्चात्वर्ती ब्रांच में ही उसका प्रवेश बना रहेगा।

1.10 प्रवेश का रद्द किया जाना:–

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा 07 अगस्त के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी ।

1.11 शिक्षण तथा अन्य फीस :–

राज्य शासन ने बी.ई पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय–समय पर जारी किए है। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

1.12 निर्वचन :–

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.13 उपांतरण :–

मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.14 अधिकारिता :–

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट https//dte.mponline.gov.in. पर उपलब्ध रहेगी।

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2019–20 से प्रवेश नियम

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2019–20 से बीई पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये, प्रवेश नियम प्रभावशील रहेंगे तथापि नीतिगत परिवर्तन की दशा में ही नियमों में आवश्यक संशोधन उपरान्त शासन अनुमति आवश्यक होगी :–

2.1. <u>संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः–</u>

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **प्रवेश नियम, 2008** है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त है एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू है ।

2.2. <u>परिभाषाएंः–</u>

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''**अधिनियम**'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);

(ख) ''**समुचित प्राधिकारी**'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;

(ग)''**प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति**'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार व्दारा गठित समिति;

(घ)''**ए.आई.सी.टी.ई.**'' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम,1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;

(ड.) ''**उपाबंध**'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(च) ''**सामान्य प्रवेश परीक्षा**'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार व्दारा या उसके व्दारा प्राधिकृत किसी अभिकरण व्दारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श व्दारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;

(छ) ''**सक्षम प्राधिकारी**'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार व्दारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(छ–1) "पाठयक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठयक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा आदि)''

(ज) ''**फीस**'' से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(झ) ''**अनिवासी भारतीय**'' का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115–ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;

(ञ) ''**प्राचार्य**'' से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;

(ट) ''**सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था**'' से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय व्दारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(ठ) ''**व्यावसायिक शिक्षण संस्था**'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय व्दारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(ड) ''**अर्हकारी परीक्षा**'' से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;

(ढ) **''एकल खिड़की प्रणाली**'' से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके व्दारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

(ण) ''जेईई (मेन)'' से अभिप्रेत है, सीबीएसई द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा ''ज्वाईन्ट एन्ट्रेंस एक्जामिनेशन (मेन)''

(त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार हैः–

1. ''डी.टी.ई.'' से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
2. ''रा.गां.प्रौ.वि.'' से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
3. ''मध्यप्रदेश (म.प्र.)'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया हैं;
4. ''शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों'' (TFW) से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगें, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल–निवासी

अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतो से कुल वार्षिक आय ₹ 8.0 लाख रूपये से अधिक ना हो, दिया जावेगा।

5. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे है वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान । प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। **अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल–निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल–निवासियों के साथ–साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।**

2.3. लागू होना:–

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा बी.ई. संचालित कर रही हों।

2.4. प्रवेश नियमः–

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

2.4.1 स्थानों की उपलब्धता–

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार हैः–

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाए	अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नही की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत ।
	ब) उन संस्थाओं में, जिन्होनें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने

	के लिये आपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होनें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट https//dte.mponline.gov.in. पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशाा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी ।

(ख–1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नही की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नही किया जायेगा।

2.4.2 <u>स्थानों का आवंटन/आरक्षण–</u>

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85, 95, 100 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।प्रवेश परीक्षा के आधार पर यदि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब प्रथम चरण के

उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को उपरोक्त प्रतिशत के अनुसार पुनः परिवर्तित **(Redistribution)** किया जावेगा।

<u>टिप्पणी :</u>

(1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :—**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC)अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित <u>**प्रारुप—1**</u> में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ—7—2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणीः—**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस प्रवेश नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित <u>**प्रारुप—2**</u> में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2016** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी—3—7—2013—3—एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा—पत्र <u>**प्रारुप—10**</u> में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ—7—2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ—7—16—2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) <u>**जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु आरक्षण :**</u>

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक संस्था में एक—एक सीट <u>प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है।</u> इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित <u>**प्रारुप—7**</u> में जम्मू एवं

काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बी.ई पाठ्यक्रम के लिये जेईई (मेन)–2019 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **प्रारुप–8** में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। बी.ई पाठ्यक्रम के लिये जेईई (मेन)–2019 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

(घ) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J & KResidents Seats)**

प्रत्येक संस्था में एक–एक सीट सामान्य पूल सीटों में से एक–एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में आरक्षित की गई हैं। बी.ई. पाठ्यक्रम के लिये जेईई (मेन)–2019 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ड) **शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tution Fee Waiver Scheme) :-**

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना ऐसी संस्थाओं में जिनमें गतवर्ष प्रवेश क्षमता के न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रवेश हुए हों उन संस्थाओं अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 8.0 लाख रूपये से अधिक ना हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों व्दारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाऐंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे

(ढ) **एन.आर.आई. (NRI) सीटें:–**

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

(अ) बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:—

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा गणित मुख्य विषय के रूप में तथा रसायन/बायोटेक्नालॉजी/बायोलॉजी/तकनीकी व्यावसायिक में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण ।

उपरोक्त विषयों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

नोट :—

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।

2. ऐसे उम्मीदवार जिनकी अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिये परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित करना होगा।

3. जेईई(मेन)—2019 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2018—19 में सम्मिलित हो रहे है, भाग ले सकते है परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

बी.ई की सामान्य पूल की सीटों जिनपर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी:—

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी—3—7—2013—3—एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण—पत्र <u>प्रारूप—6</u> अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी—3—7—2013—3—एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा—पत्र <u>प्रारुप—6 (अ)</u> में संलग्न है)प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.6 प्रवेश की रीति

राज्य या केन्द्रीय सरकार व्दारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण व्दारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिकृत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली जेईई (मेन)–2019 की घोषित आलइंडिया रैंक के आधार पर बी.ई. में प्रवेश दिये जायेगें। *{सीबीएसई द्वारा जेईई (मेन) की घोषित ऑलइंडिया रैंक केवल धनात्मक समग्र अंक* (positive composite score) *प्राप्त उम्मीदवार ही पात्र होंगे।}*

2.7 प्रवेश की प्रक्रिया

2.7.1 *ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया*

(Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

2.7.2 *अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश की प्रक्रियाः–*

2.7.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम ''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011'' दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.7.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन–

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानोंको सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, सामान्य पूल के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

2.7.3 विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) का प्रवेश –

(एक) ऐसी संस्थायें जिन्हें एआईसीटीई के अनुमोदन में विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों की सीटों के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है तब ऐसी संस्थाओं को स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 15 प्रतिशत (अधिसंख्य) स्थान पर प्रवेश देने

की पात्रता होगी। ऐसे स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रक्रियानुसार भरे जा सकेगें।

(दो) संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हे सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराएं।

2.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

2.8.1 बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश परीक्षा जेईई (मेन)–2019 संचालित की जावेगी।

2.8.2 प्रवेश परीक्षा (जेईई (मेन)–2019) अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के छात्र–छात्राओं को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित जेईई (मेन)–2019 प्रवेश परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित **प्रारुप–9** में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है ।

2.8.3 योग्यता क्रम सूचियां

2.8.3.1 जेईई (मेन)–2019 में ऑलइंडिया रैंक के आधार पर बी.ई. पाठ्यक्रम हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियॉ (Common Merit Lists), उपलब्ध कराई जावेगी।

2.8.3.2 बी.ई. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संस्था एवं इंजीनियरिंग ब्रांच का आवंटन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली (जेईई (मेन)–2019) द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों Common Merit मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

2.8.3.3 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Inter-se Merit)

समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिकप्रावीण्यता (Inter-se Merit) वही मान्य होगी जैसा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित जेईई (मेन)–2019 प्रवेश परीक्षा नियमानुसार निर्धारित कर मेरिट सूची प्रदान की गई हो।

2.8.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

2.8.4.1 सामान्य पूल सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये बीई

पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल (जेईई (मेन)–2019) की प्रवेश परीक्षा के आधार पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे

2.8.4.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई **योग्यता क्रम सूची के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा** प्रवेश दिया जावेगा।

2.8.4.3 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट **https//dte.mponline.gov.in.** पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा

2.8.4.4 मूल प्रमाण–पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। **उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।**

2.8.4.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.8.4.6 निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2.9 प्रवेश का क्रम :–

2.9.1 सक्षम प्राधिकारी व्दारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिग) से उन सस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी व्दारा अधिसूचित प्रकिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान समान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

2.9.2 केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के

प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रवेश नियम–2008 (यथा संशोधित) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरने की अनुमति दी जायेगी।

2.9.3 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम आवंटन किया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति।

2.9.4 आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

2.9.5 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक–पृथक अथवा साथ–साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

2.9.6 बी.ई. पाठ्यक्रमों में सामान्य प्रवेश परीक्षा आधारित केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग) चरणों उपरान्त, प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी यदि अपनी ब्रांच

परिवर्तन के विकल्प लेने का इच्छुक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार ब्रांच परिवर्तन के लिये अपना विकल्प दे सकेगा ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में, उसकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा पश्चात्वर्ती ब्रांच में ही उसका प्रवेश बना रहेगा।

2.10 प्रवेश का रद्द किया जानाः–

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी व्दारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा 07 अगस्त के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।

(3) <u>रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–</u>
प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।
(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

2.11 शिक्षण तथा अन्य फीस :–

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने बी.ई. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय–समय पर जारी किए है । प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के लिए शिक्षण शुल्क.–
अधिकतम 1.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये होगा । संस्था उपरोक्त शुल्क से भिन्न कम शुल्क प्रभारित कर सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के लिए विहित शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा। परंतु प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति तथा सक्षम प्राधिकारी को जिसकी सूचना अग्रिम में देना होगी।

2.12 नियमों / प्रक्रियाओं का उपांतरणः—

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध / नियम / प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

2.13 पाठ्यक्रमः—

ए.आई.सी.टी.ई. व्दारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम तालिका में दिए गए हैं।

2.14 निर्वचनः—

इन नियमों के निर्वचन (Interpretation) के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

2.15 अधिकारिताः—

किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट https//dte.mponline.gov.in. पर उपलब्ध रहेगी।

प्रारूप–1

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक....................................   प्रकरण क्रमांक..........................
प्रमाण पत्र क्रमांक...............................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..
पिता/पति का नाम..
निवासी ग्राम/नगर.................................. वि.खं....................................... तहसील......................................
जिला.. संभाग.. के.......................................जाति/
जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.......................................पर अंकित है।
अतः श्री/श्रीमती/कुमारी...
पिता/पति का नाम...अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी......................................के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए...है।

दिनांक ....   **हस्ताक्षर**
(सील)   **प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम**
पदनाम

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी,वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप–2

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वालेप्रमाण–पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.. प्रकरण क्रमांक..
प्रमाण पत्र क्रमांक...

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री श्री... निवासी ग्राम/शहर.. तहसील.................................. जिला..............................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो..जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23–4–97–चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और सूची के क्रमांक.............. पर अंकित है।

श्री.. और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला...... .... संभाग.................................. में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.. के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक.................................. को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

<u>प्रारूप–3 (भाग–अ)</u>

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक................................. **दिनांक...........................**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती... के पुत्र/पुत्री (परीक्षार्थी का नाम) .... जो प्रवेश परीक्षा का नाम..वर्ष......................................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, के पिता/माता है जो–

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ....पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक....................................था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में...पद पर सर्विस क्रमांक...के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.......................में हो चुकी है।

स्थान : .... **जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर**
दिनांकः ....

(कार्यालय सील)

<u>प्रारूप–3 (भाग–ब)</u>

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक............................... **दिनांक...................................**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. के पुत्र/पुत्री (परीक्षार्थी का नाम) .... जो प्रवेश परीक्षा का नाम..वर्ष....................................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, के पिता/माता है जो–

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना में ....ओहदे पर सर्विस क्रमांक..के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक...से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में...के ओहदे पर सर्विस क्रमांक...के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान : ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग
(कार्यालय सील)

<u>प्रारूप – 4</u>

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक................................. **दिनांक..........................**

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी (उम्मीदवार का नाम).. जो (प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का नाम)... द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) .... वर्ष.................... के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से..पर (पाठ्यक्रम का नाम).. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री / कुमारी..के पिता / माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से...(स्थान) तहसील.. जिला..में व्यवस्थापित हो गये है।

स्थान :.........................
दिनांक:...........................

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................. **दिनांक..........................**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी (उम्मीदवार का नाम).. श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के पिता/माता का नाम).. के वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री हैं।

श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के माता/पिता नाम) .... श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) .... के वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री हैं।

एवं

श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)...का नाम मध्यप्रदेश के जिला ....(जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक......................पर पंजीकृत है।

स्थान :...........................
दिनांक:...........................

हस्ताक्षर कलेक्टर

(कार्यालय सील)

<u>प्रारूप–6</u>

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील.................................. जिला..................................

प्र.क्र वर्ष.................................. दिनांक............................

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का पासपोट साईज का फोटो लगाया जाये जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु.. पिता/पति..निवासी... तहसील... जिला... (मध्यप्रदेश). राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक...................................... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक.... ....दिनांक ....के अधीन आवदेक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैः–

टीपः– यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राहय नही होगा।

(आवदेक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार
तहसील..
जिला..

*लागू न होने पर काट दें।

- यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेंगा।

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र)

<u>प्रारूप–6 (अ)</u>

स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र (अस्टाम्पित कागज पर)

फोटो
स्व प्रमाणित

मैं.. आत्मज/पति श्री................................ आयु लगभग ....वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ किः–

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती .... एवं उम्र (लगभग).......................... वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री–
   1. श्री/कु...आयु (लगभग).............................. वर्ष
   2. श्री/कु...आय (लगभग).............................वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 वर्णित निर्देश के अन्तर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन–जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
   1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर ....मोहल्ला................... ग्राम......................तहसील...... .... जिला......................में वर्ष .... मैं पैदा हुआ/हुई हूँ।
   2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला.....................शहर.........................तहसील.................... जिला.........................में विगत 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हूँ।

      (आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष निरन्तर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ–कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
   3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम .... कार्यालय का नाम ....विभाग का नाम .... के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
   4. मैं मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित.............................नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में.........................पद पर.. ....कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।

      (कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।

5. मैं केन्द्र शासन के .... विभाग में .... के पद पर .... कार्यालय...................... तहसील.............................. जिला....................... के पद पद 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।

(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष .... बैंच) अधिकारी हूँ। .... पद पर .... कार्यालय/मंत्रालय... में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।

(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)

7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक..................................पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।

(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)

8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि.................) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण–पत्र संलग्ल करें)।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....................................आत्मज/पति श्री...............................आयु.................................. वर्ष निवासी .... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा–पत्र की कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक ....वर्ष .... को स्थान.................................. में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा –पत्र में किया जाये)

<u>प्रारूप–7</u>

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण–पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that ....
S/o or D/o ....
R/o ....Tehsil ....
District.. A/P...................................
Pin .... is registered from No. ....
R/Card No………………………….. At
S. No. .... of his/her father ration card issued
from this zone.

Seal of Tehshildar **Zonal Officer / Tehshildar**

<u>प्रारूप–8</u>

मध्यप्रदेश के अधिकारी / कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक ....   दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / आत्मजा / श्री ... . जो .... द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) .... वर्ष............................ के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) ....में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरूद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री.. (उम्मीदवार का नाम) के पिता / माता श्री / श्रीमती... .... मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी / कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान ....   **हस्ताक्षर**
दिनांक ....   **(सील)**

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियो के लिये प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / आत्मजा / श्री .... ने वर्ष .... की .... में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित .... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में .... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान .... **संचालक**
दिनांक .... **खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश**
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :–
ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नही माना जावेगा।

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र)

प्रारुप–10

आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र
(सादे कागज पर)

मैं.. आत्मज श्री.. आयु ....वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ किः–

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।
2. मेरी नाम से ग्राम .... में हैक्टेयर/एकड़ कृषक भूमि है, जिससे मुझे रुपये........................ ...शब्दों में ....की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय ....है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये.............................शब्दों में ....है।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये ....शब्दों में .... है।
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य हैः–

   1......................2.........................3............................4............................5

   (परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये ....शब्दों में................... ....है।
7. मैंने इस शपथ–पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। **अथवा**
8. मैंने इस शपथ–पत्र के पूर्व लगभग .... समय पूर्व एक आय प्रमाण –पत्र/शपथ–पत्र राशि..रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि .... वार्षिक का आय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। (बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं................................आत्मज/पति श्री..............................आयु...........................वर्ष, निवासी ....सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ–पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांक ....वर्ष .... को स्थान........................में किया गया।

हस्ताक्षर

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH

TENTATIVE SEATS IN B.E COURSE FOR THE SESSION 2019-2020

S. No.	Institute Name	Branch	Seats
Government Aided			
1	Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior (1957)	CE	120
		CSE	120
		EE	120
		EC	120
		MECH	120
	Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior (1957) [Branch Type-Self Finance]	AUTO	60
		BT	30
		CHEM	60
		ET	60
		IT	60
2	Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha (1960)	BM	60
		CE	60
		CSE	120
		EE	60
		EI	60
		EC	60
		MECH	60
		PCE	60
3	Shri G.S. Institute of Technology & Science, Indore (M.P.) (1952)	BM	60
		CE	120
		CSE	90
		EE	90
		EI	60
		EC	90
		IP	60
		MECH	60
	Shri G.S. Institute of Technology & Science, Indore (M.P.) (1952) [Branch Type-Self Finance]	IT	90
Government Autonomous			
1	Indira Gandhi Engineering College, Sagar (IGEC) (1981)	CE	30
		EE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
2	Jabalpur Engineering College, Jabalpur, (JEC) (1947)	CE	60
		CSE	90
		EE	60
		EC	90
		IP	90

		IT	90
		MECH	80
3	Nowgong Engineering College, Nowgong (NEC) (2012)	CE	60
		MECH	60
4	Rewa Engineering College, Rewa (REC) (1964)	CE	60
		CSE	60
		EE	60
		EC	60
		MECH	60
5	Ujjain Engineering College, (Formaly Govt. Engg. College Ujjain (UEC) (1966)	CHEM	60
		CE	30
		CSE	60
		EE	60
		EC	60
		MECH	60
	Self Financing		
1	Dr. A. P. J. Abdul Kalam University Institute of Technology, Jhabua (Constituent College of RGPV)* (2015)	CSE	60
		MECH	60
2	Institute of Engineering and Technology, DAVV, Indore (1996)	CE	60
		CSE	120
		EI	60
		ET	120
		IT	120
		MECH	60
3	Institute of Engineering Jiwaji University, Gwalior (1996)	CHEM	40
		CSE	60
		EL	60
4	Institute of Peoples Science and Technology, Chitrakoot, Satna (1991)	CERE	60
		FOOD	60
		IT	60
5	Rustamji Institute of Technology, Tekanpur, Gwalior (1999)	AUTO	30
		CSE	30
		EE	30
		EC	60
		IT	30
		MECH	30
6	School of Engineering and Technology, Vikram University, Ujjain (2011)	CE	60
		EE	60
		EL	120
		MECH	60
7	University Institute of Technology Barkatullah University, Bhopal (1997)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		IT	30
		MECH	60

8	University Institute of Technology RGPV, Bhopal (1986)	AUTO	60
		CE	60
		CSE	120
		ELECT ELEX	60
		EC	120
		IT	60
		MECH	60
		PCT	60
9	University Institute of Technology, Shahdol (Constituent College of RGPV)* (2015)	MECH	60
		MINING	60
PRIVATE			
1	Acropolis Institute of Technology & Research, Indore (2005)	CE	120
		CSE	240
		EC	120
		IT	120
		MECH	120
2	Acropolis Technical Campus, Indore (2009)	CE	120
		CSE	180
		EC	60
		MECH	120
3	Adina Institute of Science & Technology, Sagar (2009)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
4	Aditya College of Technology & Science, Satna (2007)	AGRITECH	45
		CE	60
		CSE	45
		ELECT ELEX	45
		FTS	45
		MECH	120
		MINING	60
5	All Saints College of Engineering, Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	60
6	All Saints College of Technology, Bhopal (2002)	CE	120
		CSE	120
		ELECT ELEX	60
		EC	120
		MECH	120
7	Alpine Institute of Technology, Ujjain (2007)	CE	60
		CSE	90

		EE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
8	Annie Institute of Technology and Research Centre, Chhindwara (2013)	AUTO	60
		CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
9	Astral Institute of Technology & Research, Indore (2006)	CE	60
		CSE	120
		EC	90
		IT	60
		MECH	120
10	Babulal Tarabai Institute of Research & Technology, Sagar (2008)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		MECH	120
11	Bagulamukhi College of Technology, Bhopal (2009)	CE	120
		CSE	60
		EE	60
		EC	30
		MECH	120
12	Bansal College of Engineering, Obedullaganj, Raisen (2002)	CE	60
		CSE	120
		ELECT ELEX	30
		EC	30
		MECH	90
13	Bansal Institute of Research & Technology, Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	30
		EC	30
		MECH	60
14	Bansal Institute of Research Technology & Science, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	60
		MECH	60
15	Bansal Institute of Science & Technology, Bhopal (2000)	CE	60
		CSE	120
		ELECT ELEX	60
		EC	30
		IT	60
		MECH	60
16	Bethesda Institute of Technology and Science, Gwalior (2011)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60

		EC	60
		MECH	60
17	Bhopal Institute of Technology & Management, Bhopal (2009)	CSE	30
		ELECT ELEX	30
		EC	90
		MECH	90
18	Bhopal Institute of Technology & Science, Bhopal (2002)	CE	60
		CSE	90
		ELECT ELEX	90
		EC	30
		MECH	90
19	Bhopal Institute of Technology, Bhopal (2007)	CSE	90
		ELECT ELEX	90
		EC	30
		MECH	90
20	BM College of Technology, Indore (2007)	CE	60
		CSE	120
		ELECT ELEX	30
		EC	30
		IT	30
		MECH	120
21	Chameli Devi Group of Institutions, Indore (2006)	CE	60
		CSE	180
		EC	60
		IT	60
		MECH	120
22	Corporate Institute of Research & Technology, Bhopal (2011)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
23	Corporate Institute of Science & Technology, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	120
24	Girdhar Siksha Evam Samaj Kalyan Samiti Group of Institutions, Mandideep, Raisen (2009)	CE	30
		CSE	60
		EC	30
		MECH	120
25	Global Institute of Engineering & Science, Barwani (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	30
		MECH	60

26	Global Nature Care Sangathan's Group of Institutions, Jabalpur (2009)	CE	120
		CSE	60
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
27	Globus Engineering College, Raisen (2003)	CSE	30
		ELECT ELEX	30
		EC	30
		MECH	90
28	Guru Ramdas Khalsa Institute of Science & Technology, Jabalpur (1997)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	120
29	Gwalior Engineering College, Gwalior (2003)	CSE	120
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
30	Gwalior Institute of IT, Gwalior (2008)	AEIE	60
		CE	60
		CSE	60
		EC	120
		IT	60
		MECH	60
31	Gyan Ganga College of Technology, Jabalpur (2006)	CE	90
		CSE	180
		EC	120
		MECH	60
32	Gyan Ganga Institute of Technology & Science, Jabalpur (2003)	CE	120
		CSE	180
		ELECT ELEX	60
		EE	60
		EC	180
		IT	60
		MECH	180
33	Gyan Sagar College of Engineering, Sagar (2009)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
34	Hindustan Institute of Technology Science and Management, Gwalior (2010)	CE	60
		CSE	60
		EE	60
		EC	60
		MECH	60
35	Hitkarni College of Engineering & Technology, Jabalpur (1997)	CE	60

		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
36	IASSCOM fortune Institute of Technology, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	60
37	IES College of Technology, Bhopal (2007)	CE	120
		CSE	180
		ELECT ELEX	120
		EC	120
		MECH	120
38	IES Institute of Technology & Management, Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	30
		FTS	30
		MECH	120
39	Indore Institute of Science & Technology, Indore (2003)	CHEM	60
		CE	60
		CSE	180
		EC	60
		IT	60
		MECH	120
40	Infinity Management & Engineering College, Sagar (2008)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
41	IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Indore (1999)	CHEM	60
		CE	120
		CSE	180
		CEngg.	60
		CSIT	60
		CST	60
		ELECT ELEX	120
		EC	120
		FTS	120
		MECH	120
		SFE	60
42	IPS College of Technology & Management, Gwalior (2007)	CE	60
		CSE	60
		EE	60

		EC	60
		IT	60
		MECH	120
43	ITM GROUP OF INSTITUTIONS (Technical Campus) (Formerly: Institute of Technology & Mgmt., Gwalior) (1997)	CHEM	30
		CE	90
		CSE	180
		EC	90
		IT	60
		MECH	90
44	Jai Narain College of Technology, Bhopal (2003)	CSE	120
		ELECT ELEX	90
		EC	90
		MECH	90
45	Jawaharlal Institute of Technology, Borawan, Khargone (1997)	CE	90
		CSE	120
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	90
46	Jawaharlal Nehru College of Technology, Rewa (2007)	CE	120
		CSE	90
		ELECT ELEX	60
		EC	90
		MECH	180
		MINING	60
47	Kailash Narayan Patidar College of Science & Technology, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	60
		EE	60
		EC	60
		MECH	90
48	Kopal Institute of Science & Technology, Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	60
49	Krishna College of Engineering, Rewa (2015)	CE	60
		CSE	60
		EE	60
		EC	60
		MECH	60
50	Lakshmi Narain College of Technology & Science (RIT), Indore (2002)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
51	Lakshmi Narain College of Technology & Science, Bhopal (2006)	CE	120

		CSE	180
		EC	120
		MECH	150
52	Lakshmi Narain College of Technology Excellence, Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	180
		ELECT ELEX	90
		EC	90
		MECH	90
53	Lakshmi Narain College of Technology, Bhopal (1994)	CHEM	60
		CE	120
		CSE	180
		ELECT ELEX	180
		EE	120
		EC	180
		IT	120
		MECH	180
54	Lakshmi Narain College of Technology, Indore (2004)	AUTO	60
		CSE	120
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	120
55	Lakshmi Narain College of Technology, Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	30
		MECH	90
56	Laxmibai Sahuji Institute of Engineering & Technology, Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	60
57	Laxmipati Institute of Science & Technology, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	30
		MECH	90
58	Lord Krishna College of Technology, Indore (2006)	CE	30
		CSE	60
		EC	30
		MECH	90
59	Mahakal Institute Technology & Management, Ujjain (2007)	CE	60
		CSE	90
		EC	60
		IT	30

		MECH	60
60	Mahakal Instute of Technology, Ujjain (2001)	CE	60
		CSE	180
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	120
61	Maharana Pratap College of Technology & Management, Gwalior (2009)	CE	48
		CSE	48
		EC	48
		IT	48
62	Maharana Pratap College of Technology, Gwalior (1996)	CE	60
		CSE	60
		EE	60
		EC	30
		IT	30
		MECH	60
63	Malhotra Technical Research Institute, Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	33
		ELECT ELEX	33
		EC	60
		MECH	60
64	Malwa Institute of Science & Technology, Indore (2008)	CE	120
		CSE	120
		EC	60
		IT	60
		MECH	120
65	Malwa Institute of Technology & Management, Gwalior (2009)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
66	Malwa Institute of Technology, Indore (2004)	AUTO	30
		CE	90
		CSE	120
		ELECT ELEX	60
		EC	30
		IT	30
		MECH	120
67	Millenium Institute of Technology and Science, Bhopal (2007)	CE	90
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	60
68	Millenium Institute of Technology, Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60

		MECH	120
69	Mittal Institute of Technology, Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	60
		EE	60
		EC	30
		MECH	60
70	Nagaji Institute of Technology & Management, Gwalior (2003)	CE	60
		CSE	90
		EE	30
		EC	120
		IT	60
		MECH	60
71	NRI College of Engineering & Management, Gwalior (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		MECH	60
72	NRI Institute of Information Science & Technology, Bhopal (2001)	CE	120
		CSE	120
		ELECT ELEX	120
		EC	120
		IT	60
		MECH	180
73	NRI Institute of Research & Technology, Bhopal (2008)	CE	30
		CSE	60
		ELECT ELEX	30
		EE	60
		EC	30
		MECH	30
74	Ojaswini Institute of Management & Technology, Damoh (2007)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		IT	30
		MECH	60
75	Oriental College of Technology, Bhopal (2002)	CE	120
		CSE	120
		ELECT ELEX	120
		EC	120
		IT	120
		MECH	120
76	Oriental Institute of Science & Technology, Bhopal (1995)	AUTO	60
		CE	120
		CSE	120
		ELECT ELEX	120

		EC	120
		IT	120
		MECH	180
77	Oriental Institute of Science & Technology, Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	120
		MECH	60
78	Patel Group of Institutions (Patel College of Science & Technology, Bhopal) (2002)	CSE	120
		EC	60
		MECH	120
79	Patel Group of Institutions (Patel College of Science & Technology, Indore) (2005)	CE	120
		CSE	120
		EC	60
		MECH	120
80	Prashantee Institute of Technology & Science, Ujjain (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
81	Prestige Institute of Engineering Management and Research, Indore (2008)	CE	120
		CSE	60
		EE	60
		EC	60
		MECH	120
82	Priyatam Institute of Technology, & Management, Indore (2007)	CE	30
		CSE	45
		ELECT ELEX	30
		EC	30
		MECH	30
83	PT. DEVPRABHAKAR SHASTRI COLLEGE OF TECHNOLOGY, Chhatarpur (2010)	CE	42
		CSE	42
		EE	42
		EC	42
		IT	42
		MECH	42
84	Radha Raman Institute of Technology, & Science, Bhopal (2003)	CE	120
		CSE	180
		ELECT ELEX	90
		EC	90
		IT	30
		MECH	180
85	Radharaman Engineering College, Bhopal (2006)	CE	120
		CSE	120
		ELECT ELEX	30
		EC	30

		IT	30
		MECH	120
86	Radhaswami Institute of Technology, Jabalpur (2009)	CE	60
		CSE	60
		EE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
87	Rajeev Gandhi Prodyogiki Mahavidhyalaya, Bhopal (2006)	CE	90
		CSE	60
		EE	30
		EC	90
		MECH	180
88	Rewa Institute of Technology, Rewa (2003)	CE	60
		CSE	120
		EE	60
		EC	120
		IT	120
		MECH	120
89	Sagar Institute of Research & Technology - Excellence, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	120
		MECH	120
90	Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal (2003)	CE	120
		CSE	180
		ELECT ELEX	60
		EC	180
		IT	60
		MECH	120
91	Sagar Institute of Research Technology & Science, Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
92	Sagar Institute of Science & Technology (SISTEC) Bhopal (2007)	CE	120
		CSE	180
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	120
93	Sagar Institute of Science Technology & Research, (SISTec-R), Bhopal (2009)	CE	90
		CSE	90
		EC	60
		MECH	90
94	Sagar Institute of Science, Technology & Engineering(SISTec-E), Bhopal (2009)	CSE	60
		EE	90
		EC	60
		MECH	90

95	Sakshi Institute of Technology & Management, Guna (2012)	CE	60
		CSE	60
		EE	60
		EC	60
		MECH	60
96	SAM College of Engineering & Technology, Bhopal (2007)	CE	90
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	30
		MECH	90
97	Sanghvi Institute of management & Science, Indore (2006)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	120
98	Saraswati Institute of Engineering & Technology, Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
99	Sardar Patel Institute of Technology and Management, Mandleshwar, Khargone (2010)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	60
100	Scope College of Engineering Bhopal (2005)	CSE	90
		ELECT ELEX	60
		EC	120
		MECH	120
101	SGBM Institute of Technology & Science, Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		MECH	60
102	Sha-Shib College of Technology, Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
103	Shiv Kumar Singh Institute of Technology & Science, Indore (2007)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	30
		EC	30
		FTS	60
		IT	30

		MECH	60
104	Shreejee Institute of Technology and Management, Khargone (2010)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	60
105	Shri Balaji Institute of Technology & Management, Betul (2009)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	60
106	Shri Dadaji Institute of Technology & Science, Khandwa	CE	60
		CSE	120
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	60
107	Shri Guru Sandipani Institute of Technology & Science, Ujjain (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
108	Shri Ram College of Engineering & Management, Banmore (1998)	CSE	120
		EC	120
		IP	30
		IT	30
		MECH	120
109	Shri Ram College of Technology, Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	60
110	Shri Ram Group of Institution (Faculty of Engineering, Pharmacy, MBA, MCA), Jabalpur (2009)	CE	60
		CSE	60
		EE	30
		EC	60
		MECH	60
111	Shri Ram Institute of IT, Banmore, Morena (2007)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
112	Shri Ram Institute of Science & Technology, Jabalpur (2007)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		MECH	120
113	Shri Ram Institute of Technology, Jabalpur (2001)	CE	120
		CSE	120

		ELECT ELEX	30
		EE	60
		EC	120
		IT	30
		MECH	120
114	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology & Science, Datia (2002)	CE	30
		CSE	30
		EC	30
		MECH	30
115	Shri Yogendra Sagar Institute of Technology & Science, Ratlam (2008)	CE	90
		CSE	60
		EE	30
		EC	30
		IT	30
		MECH	60
116	Srajan Institute of Tech., Management & Science, Ratlam (2009)	CE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
117	Sri Aurobindo Institute of Technology, Indore (2009)	CE	60
		CSE	120
		ELECT ELEX	30
		EC	60
		MECH	60
118	Sri Parashuram Institute of Technology & Research, Khandwa (2013)	CE	30
		CSE	30
		ELECT ELEX	30
		MECH	30
119	St. Aloysius Institute of Technology, Jabalpur (2009)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	30
		MECH	60
120	Surabhi College of Engineering & Technology, Bhopal (2008)	CE	30
		CSE	60
		ELECT ELEX	30
		MECH	60
121	Sushila Devi Bansal College of Engineering, Indore (2006)	CE	60
		CSE	120
		MECH	60
122	Sushila Devi Bansal College of Technology, indore (2005)	CE	60
		CSE	180
		EC	30
		IT	60
		MECH	60

123	Swami Vivekanand College of Engineering, Indore (2004)	CE	120
		CSE	120
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	120
124	Swami Vivekanand College of Science & Technology, Bhopal (2006)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		IT	30
		MECH	60
125	Synergy Institute of Technology, Dewas (2008)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	30
		EC	120
		MECH	120
126	Takshshila Institute of Engineering & Technology, Jabalpur (2004)	CE	60
		CSE	90
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	120
127	Techno Engineering College Indore (Formerly known as Venkateshwar Institute of Technology, Indore) (2006)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	60
		MECH	60
128	Technocrats Institute of Technology - Advance, Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	120
		EC	60
		MECH	60
129	Technocrats Institute of Technology & Science, Bhopal (2007)	CE	120
		CSE	180
		ELECT ELEX	60
		EC	90
		MECH	180
130	Technocrats Institute of Technology (Excellence), Bhopal (2007)	CE	120
		CSE	180
		EE	120
		EC	90
		MECH	180
131	Technocrats Institute of Technology, Bhopal (2000)	CE	120
		CSE	120
		ELECT ELEX	60

		EC	120
		IT	120
		MECH	240
132	Thakur Shiv Kumar Singh Memorial Engineering College, Burhanpur (2011)	CE	60
		CSE	90
		EE	30
		EC	30
		MECH	60
133	Trinity Institute of Technology & Research, Bhopal (2008)	CE	90
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	30
		IT	30
		MECH	120
134	Truba College of Science & Technology, Bhopal (2009)	CE	90
		CSE	120
		EC	30
		MECH	120
135	Truba Institute of Engineering & IT, Bhopal (2001)	CE	120
		CSE	180
		ELECT ELEX	60
		EC	90
		MECH	120
136	Vaishnavi Institutes of Technology and Science, Raisen (2010)	CE	60
		CSE	60
		EE	60
		EC	60
		MECH	120
137	Vidhyapeeth Institute of Science & Technology, Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		ELECT ELEX	60
		EC	30
		MECH	150
138	Vidya Sagar Institute of Technology, Indore (2011)	CE	30
		CSE	30
		EC	30
		FTS	60
		MECH	30
139	Vikrant Institute of Technology & Management Indore (2007)	CE	60
		CSE	90
		ELECT ELEX	60
		EC	120
		FTS	60
		IT	60
		MECH	120

140	Vikrant Institute of Technology & Management, Gwalior (2009)	CE	90
		CSE	90
		EE	30
		EC	90
		FTS	30
		IT	30
		MECH	90
141	Vindhya Institute of Technology & Science, Indore (2006)	CE	120
		CSE	120
		ELECT ELEX	30
		EC	60
		IT	60
		MECH	120
142	Vindhya Institute of Technology & Science, Satna (2002)	CSE	120
		EE	60
		EC	60
		MECH	180
143	VNS GROUP OF INSTITUTIONS, BHOPAL (2006)	CE	60
		CSE	90
		ELECT ELEX	30
		EC	30
		MECH	60
		MINING	60

NOTE: ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE

Branch List

AEIE - Applied Electronics & Instrumentation	AERONAUTICAL - AERONAUTICAL	AGRITECH - Agri. Tech.	AUTO - Automobile Engineering
BM - Bio-Medical Engineering	BT - Bio-Technology	CE - Civil Engineering	CEng - Computer Engineering
CERE - Civil & Rural Engg.	CHEM - Chemical Engineering	COMP - Computer	CSE - Computer Science and Engineering
CSIT - Computer Science and Information Technology	CST - Computer Science and Technology	EC - Electronics and Communication Engineering	EE - Electrical Engineering
EI - Electronics & Instrumentation	EL - Electronics	ELECT ELEX - Electrical & Electronics Engineering	Electronics and Telecommunications - Electronics and Telecommunications
ET - Electronics & Telecommunication	EX - Electronics	FOOD - Food Technology	FTS - Fire Tech & Safety
IEM - Industrial Engineering and Management	IP - Industrial & Production Engineering	IT - Information Technology	MECH - Mechanical Engineering
MINING - MINING Eng	PCE - PCE	PCT - Petrochemical Technology	PRODUCTION - PRODUCTION Engg
SFE - Safety and Fire Engineering	TX - Textile Technology		